

(1)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 30/12/2019

फा०कमांक-6388/21-ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला ग्वालियर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर (नामांकन क्र. एम.पी./1119/2011, दिनांक 11.06.2011) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 01.01.1982 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—मुख्य शीर्ष-2225—अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)—अन्य व्यय-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)—विशेष न्यायालयों की स्थापना—31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ की उपमद-003—अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ०कमांक 6388/21-ब(दो)2019

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भद्रभदा रोड, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
- (10) श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी—रंगियाना मोहल्ला, चार शहर का नाका, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.)
- (11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (12) आई०टी०, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु

Hindi Computerized Form No. 3 of Madhya Pradesh कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JABALPUR

05 JAN 2020

2001

Reg No.
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

प्रियंका
6-1-20

31.12.19

(सतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

(2)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 24/12/2019

फा०कमांक-6602/21-ब(दो) 2019, राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शिवपुरी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, शिवपुरी (नामांकन क्र. एम. पी./1297/1990, दिनांक 16.07.1995) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 02.11.1964 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनसे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, शिवपुरी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—मुख्य शीर्ष-2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)—अन्य व्यय-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)—विशेष न्यायालयों की स्थापना-31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003—अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ०कमांक 6602/21-ब(दो)2019

प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/12/2019

२८

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भद्रभदा रोड, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
- (10) श्री शैलेन्द्र शर्मा पिता जे०पी०शर्मा, निवासी—न्यू महल कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
- (11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (12) आई०टी०, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु, विधि विभागीय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(26.12.19)

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त—सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Pension
4/1/20

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
08 JAN 2020
2029
Reg No.
Receipt Clerk
High Court Jabalpur